अपर सचिव
—सह—
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 28/2024
जियाउर्रहमान
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः—

श्री जियाऊल कमर एवं
सुश्री पूजा कुमारी ..... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

मो0 हेलाल अहमद एवं
अंजुमन अख्तर ..... प्रतिवादी सं0—5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता।

शहजाद हसन खान एवं
असलम अंसारी ..... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

जियाउर्रहमान, पिता—स्व0 कबीर उद्दीन, ग्राम—धोबनिया, वार्ड सं0—11, थाना—जोकिहाट, जिला—अररिया (वर्तमान में अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मदरसा अनवरूल उलूम, धोबनिया, पो0+थाना—जोकिहाट, जिला—अररिया, मदरसा सं0—46/52) ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 513, दिनांक 06.03.2024 के विरूद्ध यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रतिवादी की प्रबंध समिति के पक्ष में अनुमोदन दिया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को बताया कि बोर्ड के प्रश्नगत आदेश, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया द्वारा दिनांक 27.12.2023 को प्रस्तुत पूर्व प्रतिवेदन के आधार पर, पारित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन प्रतिवादी की समिति के पक्ष में थी तथा एक—पक्षीय थी। उक्त आदेश अवैध है क्योंकि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पूर्व में दिनांक 28.02.2024 को मदरसा के स्थलीय जाँच हेतु ज्ञापांक 469 द्वारा उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्दिष्ट किया गया था, किंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया द्वारा उक्त जाँच किए जाने के पूर्व ही बोर्ड के अध्यक्ष ने अवैध रूप से दिनांक 28.02.2024 के अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया एवं बिना स्थलीय जाँच के ही प्रतिवादी की प्रबंध समिति के पक्ष में अनुमोदन दे दिया। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है तथा खारिज होने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को आगे बताया कि उनकी समिति ने दिनांक 03.07.2023 को 15,000/— रू0 का जाँच शुल्क मदरसा बोर्ड में जमा कराई थी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई जाँच नहीं की गई। इसके पश्चात्

प्रतिवादी की प्रबंध समिति द्वारा कागजात प्रस्तुत किए जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को जाँच हेतु निर्देशित किया गया, परंतु उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी की प्रबंध

समिति को सूचित किए बिना, एकपक्षीय जाँच प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी प्रबंध समिति के शिकायत पर मदरसा बोर्ड ने दिनांक 19.01.2024 को एक पत्र जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 15.02.2024 की तिथि निर्धारित की, जिसकी सुनवाई दिनांक 28.02.2024 को हुई और नियमावली, 2022 के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को स्थलीय निरीक्षण का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात्, मदरसा बोर्ड ने बिना किसी जाँच के दिनांक 06.03.2024 को पूर्व में एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवादी प्रबंध समिति को अवैध रूप से अनुमोदन दे दिया। इसके अलावा, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को प्रबंध समिति के अनुमोदन की शक्ति नहीं है। उपरोक्त अनुमोदन आदेश नियमावली, 2022 के तहत नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को आगे बताया कि मदरसा अनवरूल उलूम, धोबनिया, पो0+थाना–जोकिहाट, जिला–अररिया (मदरसा सं0–46/52) स्थानीय लोगों द्वारा स्थापित एवं संचालित है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के छात्र–छात्राओं को धार्मिक तथा प्राच्य शिक्षा प्रदान करना है। उक्त मदरसा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त है। उक्त मदरसा पिछले 40 वर्षों से पुरानी प्रबंध समिति, जिसमें अध्यक्ष नईम अख्तर तथा सचिव मो0 बशीरूद्दीन थे, के माध्यम से संचालित हो रहा था। दोनों की आयु 80 वर्ष से अधिक होने के कारण, पुरानी प्रबंध समिति ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष आवेदन देकर नई स्वीकृति की माँग की। तत्पश्चात् मदरसा बोर्ड के सचिव ने दिनांक 05.12.2016 को मदरसा के प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजकर स्थानीय स्तर पर नई प्रबंध समिति गठित करने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश के अनुपालन में स्थानीय लोगों द्वारा दिनांक 25.07.2017 को प्रस्ताव द्वारा नई प्रबंध समिति का गठन किया गया, जिसमें अपीलार्थी को प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सभी कागजात प्रस्ताव सहित अनुमोदन हेतु मदरसा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि मदरसा बोर्ड ने प्रबंध समिति की जाँच हेतु प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जोकिहाट को निर्देशित किया, जिन्होंने दिनांक 16.12.2017 को अपीलार्थी की प्रबंध समिति के पक्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत की। इस बीच, मदरसा बोर्ड के ट्रस्ट डीड को पंजीकृत कराने का निदेश दिया। तत्पश्चात् अपीलार्थी की प्रबंध समिति ने दिनांक 14.06.2019 को ट्रस्ट डीड का पंजीकरण कराया। जाँच प्रतिवेदन के पश्चात्, मदरसा बोर्ड ने दिनांक 29.06.2019 को अपीलार्थी की प्रबंध समिति के पक्ष में अनुमोदन प्रदान किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को आगे बताया कि अपीलार्थी के प्रबंध समिति के पक्ष में अनुमोदन के बीस दिनों बाद दिनांक 13.07.2019 को मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने उक्त अनुमोदन इस आधार पर अवैध रूप से वापस ले लिया कि अपीलार्थी की

प्रबंध समिति के द्वारा संबंधित मदरसा के पक्ष में भूमि दान स्वरूप नहीं दी गई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी मदरसा में दान–दाता है तथा उन्होंने खाता सं0–79, खेसरा सं0–686 के अंतर्गत 7.5 डिसमिल भूमि मदरसा के नाम पर पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से दान दी है। उक्त भूमि मदरसा के नाम पर नामांतरित की गई है, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि अपीलार्थी के पक्ष में उक्त अनुमोदन वापस लिए जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने विशेष सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील सं0–32/2019 दायर की। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 05.08.2019 को दिनांक 13.07.2019 को अनुमोदन वापस लिए जाने संबंधी आदेश पर रोक (Stay) लगाई गई। तत्पश्चात, दिनांक 09.01.2020 को अपीलीय प्राधिकार द्वारा उक्त अपील को सुनने के पश्चात् स्वीकार (allow) किया गया तथा निदेश दिया गया कि अपीलार्थी के प्रबंध समिति, 4 माह के जाँच हेतु मदरसा बोर्ड को दिए गए समायावधि तक, मदरसा के दैनिक कार्यों का संपादन करेगी, किन्तु मदरसा के चल–अचल संपत्ति के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। इसके पश्चात्, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिनांक 20.06.2020 को मदरसा बोर्ड द्वारा अपीलार्थी की प्रबंध समिति के पक्ष में दिनांक 29.06.2019 के पूर्व के दिए गए अनुमोदन की पुष्टि की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को आगे बताया कि राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड के संबंध में नई नियमावली, 2022 लागू की है, जिसके अनुसार प्रबंध समिति की अवधि केवल तीन वर्ष निर्धारित की गई है। अतः उक्त अवधि की समाप्ति पर, अपीलार्थी की प्रबंध समिति ने दिनांक 18.06.2023 को मदरसा परिसर में दिनांक 20.06.2023 को आयोजित की जानेवाली आम–बैठक की सूचना जारी की। तत्पश्चात् दिनांक 20.06.2023 को स्थानीय लोगों की सहमति से दो दान–दाता, दो अभिभावक, दो शिक्षित व्यक्ति, दो शिक्षक एवं एक शिक्षा पदाधिकारी के नाम चयनित कर नई प्रबंध समिति को गठन किया गया। दिनांक 26.06.2023 को सार्वजनिक बैठक में अपीलार्थी को उक्त समिति का अध्यक्ष तथा सरफराज आलम को सचिव के रूप में चयनित किया गया। इसके बाद, 15,000/–रू0 की जाँच शुल्क के साथ प्रस्ताव को मदरसा बोर्ड को समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी की समिति की कोई जाँच नहीं की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को आगे बताया कि इस बीच, प्रधान मौलवी, बदरूद्दोजा, जो प्रतिवादी की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पुत्र हैं, ने उक्त मदरसा में समानांतर प्रशासन चलाया तथा बिना किसी सार्वजनिक बैठक के एक फर्जी प्रबंध समिति का गठन कर लिया। इसके पश्चात्, प्रतिवादी की प्रबंध समिति ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले की जाँच हेतु निर्देशित कराया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जाँच की अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी एवं न ही सुना तथा दिनांक 27.12.2023 को मदरसा बोर्ड को अपना एक–पक्षीय प्रतिवेदन समर्पित किया। अपीलार्थी की प्रबंध

Vijay

समिति के शिकायत पर, मदरसा बोर्ड ने दिनांक 19.01.2024 को सुनवाई हेतु दिनांक 15.02.2024 की तिथि निर्धारित की, जिसकी सुनवाई दिनांक 28.02.2024 को हुई तथा नियमावली, 2022 के अनुसार स्थलीय जाँच हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात्, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एक सप्ताह के बाद बिना किसी जाँच के पूर्व के एकतरफा प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 06.03.2024 को अवैध रूप से अनुमोदन आदेश पारित कर दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी समिति की अध्यक्ष, प्रधान मौलवी बदरूद्दोजा की माता हैं। यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रधान मौलवी को प्रबंध समिति द्वारा पद से हटाया गया था तथा इस हेतु स्वीकृति मदरसा बोर्ड द्वारा दिनांक 07.04.2021 को प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् उक्त प्रधान मौलवी ने इस प्राधिकार के समक्ष अपील सं0–56/2021 दायर की, जिसे दिनांक 12.09.2022 को स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 12.09.2022 के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C सं0–15733/2022 मे चुनौती दी, जो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी। अतः बर्खास्त प्रधान–मौलवी ने अवैध रूप से एक फर्जी प्रबंध समिति का गठन किया तथा अपीलार्थी के प्रस्ताव के पश्चात् मदरसा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। परंतु मदरसा बोर्ड ने अवैध रूप से प्रतिवादी की समिति के पक्ष में अनुमोदन प्रदान कर दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल अध्यक्ष को अनुमोदन प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी शक्ति मदरसा बोर्ड में निहित है। वर्ष 1995 में दाउद हसन के मामले में न्यायालय ने स्वीकार किया कि केवल अध्यक्ष अनुमोदन प्रदान नहीं कर सकता। दिनांक 05.09.2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियों पर रोक लगाई थी। उपरोक्त के आलोक में, प्रतिवादी प्रबंध समिति का दिनांक 06.03.2024 को दिया गया अनुमोदन अवैध है, जो खारिज किए जाने योग्य है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अतः मदरसा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश को खारिज किया जाए तथा उचित सत्यापन के बाद नए अनुमोदन हेतु मदरसा बोर्ड को निदेशित किया जाए।

<u>प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 का पक्षः–</u>

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को बताया कि यह अपील एकमात्र अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है, जबकि उक्त मामला प्रबंध समिति के अनुमोदन से जुड़ा है, जिसमें दोनों पक्षों की प्रबंध समिति के सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के Order I, Rule-9 के प्रावधान के अनुसार इस अपील को Non-joinder of necessary party के आधार पर खारिज किया जाना श्रेयस्कर होगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रसंगाधीन आदेश द्वारा उक्त मदरसा में प्रतिवादी सं0–5 को प्रबंध समिति का अध्यक्ष तथा प्रतिवादी सं0–6 को सचिव नियुक्त किया गया था, जबकि मुश्ताक आलम, सुलेमान, जमालुद्दीन एवं जहाँगीर को उक्त

मदरसा की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। ये सभी उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार (प्रतिवादी) हैं, लेकिन इस अपील में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के Order-IX, Rule-5 का उल्लंघन है। अतः यह अपील आवश्यक पक्षकारों के Non-joinder के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी के प्रबंध समिति के अनुमोदन का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि उनका आवेदन पहले ही प्रतिवादी सं0–1 के आदेश पत्रांक–1470, दिनांक 29.09.2023 द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। अपीलार्थी ने उक्त दिनांक 29.09.2023 के आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसके तहत उनके मदरसा में प्रबंध समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश को चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि यह अपील Constructive Res-judicata के सिद्धांत से बाधित है। पूर्व में, प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति के विवाद पर अपील सं0–55/2021 एवं अन्य संबंधित वाद में विचार किया गया था, जिसके दिनांक 06.09.2024 को यह मानते हुए निष्पादित किया गया कि दिनांक 06.03.2024 (ज्ञापांक–513) का प्रसंगाधीन आदेश मदरसा बोर्ड (संशोधन) नियमावली, 2022 के अंतर्गत पारित किया गया है। उक्त दिनांक 06.09.2024 के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C सं0–16276/2024 में चुनौती दी गई, जो अभी विचाराधीन है।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि नई नियमावली, 2022 के नियम–4 में प्रबंध समिति के गठन के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। मदरसा सं0–46/52 अर्थात् प्रसंगाधीन मदरसा पर भी नियमावली, 2022 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त नियम–4 के प्रावधान के अनुसार किसी मदरसा की प्रबंध समिति में प्रधान मौलवी, एक शिक्षक प्रतिनिधि, दो शिक्षा प्रेमी एवं एक संबंधित शिक्षा पदाधिकारी (बोर्ड द्वारा नामित) सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। अतः मदरसा में प्रबंध समिति का गठन नियमावली, 2022 के उल्लिखित शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम–5 के प्रावधान के अनुसार, प्रभारी/प्रधान मौलवी मदरसा में प्रबंध समिति के गठन हेतु एक बैठक बुलाएंगे। उक्त प्रावधान के अनुपालन में संबंधित मदरसा के प्रधान–मौलवी द्वारा दिनांक 19.06.2023 को आम–सूचना जारी की गई एवं आम–आवाम को दिनांक 21.06.2023 को आम सभा में प्रबंध समिति के सदस्यों के चयन हेतु एवं प्रबंध समिति के गठन हेतु भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 21.06.2023 को स्थानीय लोग बैठक में उपस्थित हुए तथा सर्वसम्मति से मदरसा की प्रबंध समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष एवं सचिव का चयन किया गया। प्रतिवादी सं0–5 को अध्यक्ष के रूप में तथा प्रतिवादी सं0–6 को प्रबंध समिति के सचिव के रूप में चयनित किया गया। जबकि श्री मुश्ताक आलम, श्री सुलेमान, श्री जमालुद्दीन, जहाँगीर, बदरूद्दोजा, अजीजुर रहमान तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जोकिहाट को उक्त मदरसा की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चयनित किया गया। प्रबंध समिति के गठन के पश्चात् मदरसा के प्रधान–मौलवी ने आवश्यक/प्रासंगिक दस्तावेजों को अपने पत्रांक–3 के तहत मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना में दिनांक 26.06.2023 को प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को आगे बताया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव ने पत्रांक 1791, दिनांक 03.01.2023 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को निर्देशित किया कि वे प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के नेतृत्व में मदरसा में गठित प्रबंध समिति के संबंध में जाँच करें। उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिनांक 24.12.2023 को संबंधित मदरसा जाकर जाँच की एवं यह पाया कि प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के नेतृत्व वाली प्रबंध समिति का गठन नई नियमावली, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1105, दिनांक 27.12.2023 के द्वारा उपरोक्त जाँच का प्रतिवेदन मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव को समर्पित कर बताया कि प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के नेतृत्व वाली प्रबंध समिति का गठन वैध, सही एवं नई नियमावली, 2022 के अनुरूप है।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को बताया कि जब अपीलार्थी द्वारा प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ कागजातों को दिनांक 29.06.2023 को अस्वीकार कर दिया गया, तब उन्होंने बोर्ड के समक्ष इसकी शिकायत दर्ज कराई थी एवं तदनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालनार्थ बोर्ड ने पत्रांक 164, दिनांक 19.01.2024 द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 को मामले की सुनवाई हेतु सूचना जारी की थी। उक्त सूचना के आलोक में, दोनों पक्ष सुनवाई हेतु मदरसा बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें उभय पक्षों को सुनकर मदरसा शिक्षा बोर्ड ने आदेश पारित किया। अतः उक्त आदेश में कोई अनियमितता नहीं है।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस अपील याचिका के पैरा–1 में की गई प्रार्थना पोषणीय नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उनके प्रबंध समिति के अनुमोदन हेतु किया गया दावा दिनांक 29.09.2023 को मदरसा बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है, किंतु अपीलार्थी ने उक्त आदेश को इस प्राधिकार के समक्ष चुनौती नहीं दी है। अपील के पैरा–4 में किए गए कथन के जवाब में प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि दिनांक 25.07.2017 को उक्त प्रतिवादी के पति को संबंधित मदरसा की प्रबंध समिति का सचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपील के पैरा–5 में किए गए कथन के जवाब में यह बताया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जोकिहाट के प्रतिवेदन के आधार पर मदरसा बोर्ड द्वारा प्रबंध समिति के अनुमोदन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिनांक 04.02.2019 को मदरसा की प्रबंध समिति को मदरसा के संचालन हेतु एक ट्रस्ट गठित करने का निर्देश जारी किया था एवं तदनुसार ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें नईम अख्तर को अध्यक्ष एवं बशीरूद्दीन को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं इसके बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड ने नईम अख्तर (अध्यक्ष) एवं बशीरूद्दीन (सचिव) की प्रबंध समिति के गठन का अनुमोदन अपने आदेश ज्ञापांक 5064–77, दिनांक 14.06.2019 के द्वारा दिया तथा अपीलार्थी प्रबंध समिति के दावे को अस्वीकृत कर दिया। उल्लेखनीय हो कि नईम अख्तर एवं बशीरूद्दीन की प्रबंध समिति के अनुमोदन का आधार संबंधित मदरसा में उनके द्वारा भूमि–दान किया जाना था। इसके पश्चात् मदरसा बोर्ड ने अवैध रूप से अपने

दिनांक 29.06.2019 के आदेश द्वारा पूर्व के दिनांक 14.06.2019 के अनुमोदन आदेश को वापस कर लिया, हालाँकि बाद में इसे दिनांक 13.07.2019 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील के पैरा–7 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन के जवाब में यह बताया कि मौजा–धोबनिया, खाता सं0–79, खेसरा सं0–686, क्षेत्रफल–15 डिसमिल पर स्थित भूमि, बशीरूद्दीन द्वारा संबंधित मदरसा के हक में दान की गई। अपीलार्थी उक्त मदरसा के संचालन में किसी तरह से शामिल नहीं थे तथा प्रतिवादी सं0–5 के स्वर्गवासी पति श्री बशीरूद्दीन उक्त मदरसा की स्थापना काल से ही इसके मामलों का प्रबंधन तथा मदरसा का संचालन कर रहे थे।

अंचल अधिकारी, जोकिहाट का प्रतिवेदन पत्रांक 1169, दिनांक 19.09.2019 जो अपीलार्थी के पक्ष में 7 डिसमिल भूमि के हिस्से के संबंध में है, वह पूर्णतः भ्रामक है क्योंकि अपीलार्थी तीन भाई एवं एक बहन है। अतः अपीलार्थी 7 डि0 भूमि का दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार, अंचलाधिकारी का उक्त प्रतिवेदन निराधार है तथा अपीलार्थी के अधिकार के दावे को सत्यापित किए बिना तैयार की गई है, जो राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों के विपरीत/उलट है। अपील के पैरा–8 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथनों के प्रत्युत्तर में यह कहा गया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिनांक 14.06.2019 के आदेश द्वारा प्रतिवादी सं0–5 के पति श्री बशीरूद्दीन की प्रबंध समिति का अनुमोदन प्रदान किया था, किंतु तत्पश्यात् मिथ्या प्रस्तुति (misrepresentation) के आधार पर, दिनांक 14.06.2019 के आदेश को वापस कर लिया। जब बोर्ड के अध्यक्ष के संज्ञान में यह लाया गया कि उनके पास दिनांक 14.06.2019 के आदेश को वापस करने की शक्ति नहीं है, तब बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने दिनांक 13.07.2019 के आदेश द्वारा दिनांक 29.06.2019 के अवैध आदेश को वापस ले लिया। अपीलार्थी ने विशेष सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दिनांक 13.07.2019 के उक्त आदेश को अपील सं0–32/2019 में चुनौती दी, जिसे दिनांक 09.01.2020 के आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकार ने निष्पादित करते हुए मदरसा बोर्ड को निदेश दिया कि वह मदरसा की दोनों प्रबंध समितियों के दावों की स्थिति के संबंध में जाँच करे तथा 4 माह के भीतर आदेश पारित करे, किन्तु मदरसा बोर्ड ने इस मामले को अनिश्चित काल तक लंबित रखा। प्रतिवादी सं0–5 के पति ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C सं0–2402/2020 दायर कर अपीलीय प्राधिकार के दिनांक 09.01.2020 के आदेश को चुनौती दी। उक्त वाद में अपीलार्थी एवं अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने आदेश ज्ञापांक 845, दिनांक 20.02.2020 द्वारा अपने दिनांक 13.07.2019 के आदेश को निरस्त कर दिया तथा दोनों पक्षों को उनकी–उनकी प्रबंध समितियों के दावे का निस्तारण दीवानी मुकदमे (Civil suit) के माध्यम से करने का निर्देश दिया।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के पैरा–9 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन के जवाब में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण बताया है कि बोर्ड के अध्यक्ष ने दिनांक 29.06.2019 के आदेश द्वारा सर्वप्रथम अपने दिनांक 14.06.2019 के आदेश को वापस ले लिया था तथा पुनः दिनांक 29.06.2019 के आदेश को अपने दिनांक 13.07.2019 के आदेश द्वारा वापस लिया एवं विशेष सचिव ने दिनांक 09.01.2020 के आदेश द्वारा मदरसा बोर्ड को

मामले की जाँच जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया द्वारा 4 माह के भीतर कराने एवं संबंधित मदरसे में प्रबंध समिति के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लेने का निदेश दिया और चार महीने तक अपीलार्थी की प्रबंध समिति को मदरसे के देख–रेख का दायित्व दिया था। हालाँकि, मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिनांक 09.01.2020 के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया और बिना उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के, अपीलार्थी के प्रबंध समिति को मदरसे का संचालन करने हेतु अवैध रूप से निर्देशित किया, जबकि बोर्ड के दिनांक 20.02.2020 के आदेश के तहत संबंधित पक्षों को प्रबंध समिति के विवाद को सिविल सूट के माध्यम से हल करने के लिए निर्देशित किया गया था। अतः मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 20.06.2020 को पारित आदेश पूर्णतः अवैध एवं दिनांक 09.01.2020 के विशेष सचिव के आदेश तथा बोर्ड के अध्यक्ष के आदेश दिनांक 20.02.2020 का उल्लंघन था। अतः यह कहना पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है कि अपीलार्थी की प्रबंध समिति के पक्ष में पूर्व के आदेश की पुष्टि है।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के पैरा–10 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन के प्रतिउत्तर में बताया गया है कि दिनांक 18.06.2023 की आम–बैठक के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था एवं ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। परिशिष्ट सं0–8 में कथित प्रस्ताव एक मनगढ़ंत दस्तावेज है एवं हेरफेर से भरपूर है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने पहले ही उक्त प्रस्ताव को पत्रांक 1470, दिनांक 29.09.2023 (परिशिष्ट–A) के द्वारा अस्वीकार कर दिया है। अपील के पैरा–11 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन के जवाब में बताया गया है कि प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति नियमानुसार गठित की गई है एवं जाँचोंपरांत इसे विधिवत रूप से गठित पाया गया एवं अंतिम रूप से अनुमोदन दोनों पक्षों को मदरसा बोर्ड द्वारा सुनने के बाद दिया गया। अपील के पैरा–12 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन के संबंध में यह कहा गया है कि अपीलार्थी की प्रबंध समिति के अनुमोदन संबंधी आवेदन को मदरसा बोर्ड ने पत्रांक 1470, दिनांक 29.09.2023 द्वारा अस्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई अपील दायर नहीं की है किन्तु अपीलार्थी ने प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति के लंबित अनुमोदन के विरूद्ध आपत्ति दर्ज की, जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी की। इस मामले की सुनवाई दिनांक 06.03.2024 को हुई तथा दिनांक 28.02.2024 का आदेश भी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें सूचित किया गया कि अपीलार्थी समिति के अनुमोदन का मामला पहले ही दिनांक 29.09.2023 को अस्वीकार किया जा चुका है। अतः इन तथ्यों पर विचार करते हुए, मदरसा बोर्ड ने दिनांक 06.03.2024 के आदेश द्वारा प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति को अनुमोदन प्रदान किया।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के पैरा–13 में अपीलार्थी द्वारा किए गए कथनों के जवाब में बताया गया कि प्रधान मौलवी बदरूद्दोजा, को इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। उनके बर्खास्तगी का तत्कालीन आदेश विशेष सचिव द्वारा अपील सं0–56/2021 में दिनांक 12.09.2022 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष को अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पहले ही निर्धारित किया जा चुका है कि

आपात परिस्थियों में अध्यक्ष प्रबंध समिति का अनुमोदन देने में सक्षम हैं। यह अपील निराधार है, अतः इसे खारिज किया जाए।

मदरसा शिक्षा बोर्ड का पक्षः–

बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई के दौरान बताया कि प्रसंगाधीन आदेश नई नियमावली, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है। अनुमोदित प्रबंध समिति उक्त नियमावली में गठन हेतु विभिन्न शर्त्तों को पूरा कर रही थी, अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उक्त प्रबंध समिति को अनुमोदित किया गया है। बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, अतः इस अपील को खारिज किया जाए। अपीलीय प्राधिकार के पत्रांक 19, दिनांक 07.04.2026 एवं पत्रांक 47, दिनांक 29.04.2026 द्वारा मदरसा बोर्ड को लिखित जवाब दाखिल करने हेतु सूचना भेजी गई थी, परंतु मदरसा शिक्षा बोर्ड के तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

निष्कर्षः– अपीलार्थी, प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 तथा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ताओं को भिन्न–भिन्न तिथियों पर सुना गया। सभी पक्षों के मौखिक बहस, लिखित कथन एवं संचिका में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी मो0 जियाउर्रहमान, पिता–स्व0 कबीर उद्दीन, ग्राम–धोबनिया, वार्ड सं0–11, थाना–जोकिहाट, जिला–अररिया (वर्तमान में अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मदरसा अनवरूल उलूम, धोबनिया, पो0+थाना–जोकिहाट, जिला–अररिया, मदरसा सं0–46/52) ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अनुमोदन आदेश ज्ञापांक 513, दिनांक 06.03.2024 को इस अपील में चुनौती दी है।

अपीलार्थी का कथन है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया के दिनांक 27.12.2023 के जाँच प्रतिवेदन को आधार मानकर बोर्ड ने प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति का अनुमोदन दे दिया है। जबकि उक्त जाँच रिपोर्ट केवल प्रतिवादियों की प्रबंध समिति के पक्ष में एकपक्षीय प्रतिवेदन हैं। उन्होंने अपनी प्रबंध समिति के जाँच हेतु 15,000/–रू0 का शुल्क बोर्ड में जमा कराई थी, पर उनकी प्रबंध समिति की जाँच नहीं की गई।

प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 का कथन है कि सर्वप्रथम नई नियमावली, 2022 के आलोक में नियमानुसार प्रधान–मौलवी/प्रभारी प्रधान मौलवी द्वारा ही मदरसा की नवगठित प्रबंध समिति और उनके पदाधिकारियों की सूची अनुमोदन हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रबंध समिति के गठन में प्रधान–मौलवी की भूमिका अति–महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मामले में, प्रसंगाधीन मदरसे के प्रधान–मौलवी प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में मौजूद हैं, जबकि अपीलार्थी की प्रबंध समिति ने अब्दुल माजीद (संबंधित मदरसा के सहायक शिक्षक) को प्रबंध समिति का प्रस्ताव बोर्ड को भेजने हेतु अधिकृत किया है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने पत्रांक 1470 दिनांक 29.06.2023 द्वारा अब्दुल माजिद को संबोधित करते हुए यह कहा है कि चूँकि आप न तो संबंधित मदरसा में प्रधान–मौलवी एवं न ही प्रभारी प्रधान–मौलवी हैं, अतः आपके द्वारा प्रबंध समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कागजातों को अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि नई नियमावली, 2022 में यह अधिकार मदरसा के प्रधान–मौलवी अथवा प्रभारी प्रधान–मौलवी को ही हासिल है। मदरसा

शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय हो कि अपीलार्थी की प्रबंध समिति के गठन का प्रस्ताव आरम्भ से त्रुटि ग्रस्त है चूँकि इनका प्रस्ताव उक्त मदरसा के एक सहायक शिक्षक द्वारा अग्रेषित किया गया था, जिसे बोर्ड ने अपने कार्यालय पत्रांक 1470, दिनांक 29.06.2023 द्वारा खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की प्रबंध समिति के गठन का प्रस्ताव तथा सुसंगत दस्तावेज उक्त मदरसा के प्रधान–मौलवी द्वारा बोर्ड को समर्पित किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 513, दिनांक 06.03.2024 में कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है।

एतदर्थ, इस अपील को खारिज किया जाता हैं एवं इसकी सुनवाई बंद की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 61 दिनांक 12/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/जियाउर्रहमान, पिता–स्व0 कबीर उद्दीन, ग्राम–धोबनिया, वार्ड सं0–11, थाना–जोकिहाट, जिला–अररिया/कौसरी खातून, अध्यक्ष, नई प्रबंध समिति, मदरसा अनवारूल उलूम, धोबनिया, पो0+थाना–जोकिहॉट, जिला–अररिया, (मदरसा सं0–46/52)/नुरूद्दीन, सचिव, नई प्रबंध समिति, मदरसा अनवारूल उलूम, धोबनिया, पो0+थाना–जोकिहॉट, जिला–अररिया, (मदरसा सं0–46/52)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 12/5/2026
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।